



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 आषाढ़, 1944 (श०)

संख्या - 324 राँची, मंगलवार,

19 जुलाई, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

27 जून, 2022

संख्या-5/आरोप-1-139/2018-6678 (HRMS)--श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-847/03, गृह जिला- गिरिडीह), तत्कालीन अपर समाहर्ता, पाकुड़ के विरुद्ध उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक-108/ स्था०, दिनांक 22.03.2019 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध गया। प्रपत्र-‘क’ में श्री कुमार के विरुद्ध निम्नांकित आरोप गठित किये गये-

(i) श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से०, तत्कालीन अपर समाहर्ता, पाकुड़ के द्वारा दिनांक 05.11.2018 से 09.11.2018 तक (कुल 05 दिन) का अर्जित अवकाश का आवेदन देकर बिना अनुमति के अनधिकृत रूप से मुख्यालय छोड़कर चले गये ।

(ii) श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से०, तत्कालीन अपर समाहर्ता, पाकुड़ द्वारा कृत्य उक्त कार्य पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा के अभाव को प्रदर्शित करता है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1)(i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण है ।

उक्त आरोपों के लिए इनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी, परन्तु इनसे स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने के कारण विभागीय संकल्प सं०-9292, दिनांक 22.11.2019 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-81, दिनांक 04.02.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में मंतव्य गठित किया गया है कि आरोपी पदाधिकारी का बचाव-बयान स्वीकृत योग्य प्रतीत होता है एवं आरोपी पदाधिकारी पर प्रपत्र 'क' में गठित आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोप एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री कुमार के विरुद्ध दिनांक 05.11.2018 से 09.11.2018 तक अनधिकृत अनुपस्थिति अवधि के लिए उपायुक्त, पाकुड़ द्वारा प्रपत्र-‘क’ गठित किया गया है। उक्त संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा W.P(S) सं० 3171/2019 एवं C.M.P सं० 172/2020 में पारित न्यायादेश के आलोक में प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के अधिसूचना ज्ञापांक-65/स्था०, दिनांक 19.04.2021 द्वारा दिनांक 05.11.2018 से 15.11.2018 तक कुल-11 (ग्यारह) दिनों के अवकाश की स्वीकृति उपार्जित अवकाश के रूप में की जा चुकी है।

अतः समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका से प्राप्त उपार्जित अवकाश स्वीकृति प्रतिवेदन के आलोक में श्री मनोज कुमार, तत्कालीन अपर समाहर्ता, पाकुड़ को आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MANOJ KUMAR JHK/JAS/27	श्री मनोज कुमार, तत्कालीन अपर समाहर्ता, पाकुड़ को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
